क्रम-संख्या--746

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 अक्तूबर, 1984

आश्विन 9, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2036/सत्रह-वि0-1-1(क)-15/1984

लखनऊ, 1 अक्तूबर, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 सितम्बर, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1984)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) धारा 2 इक्कीस मई, 1984 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 3 चार अक्तूबर, 1983 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 4 ग्यारह जून, 1984 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 23–क का संशोधन

3––उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 23-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्––

"(2) उपधारा (2-ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

(क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण करता हो, और

(ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाय, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय,

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक को और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2–क) में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर संवर्ग का सदस्य हो जायगा।

(2–क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतनी ही पदावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को हकदार होता यदि संवर्ग का गठन न हुआ होता, और इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा नियंत्रित होती हो, परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण या परिवर्तन न कर दिया जाय।

(2–ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे।

(2-ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवायें, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा––

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियां;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति में, एक मास की परिलब्धियां।

(2-घ) किसी सरकारी सेवक को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाय, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा और, यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिये कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किये जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2–ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा।"

धारा 40 का संशोधन

4––मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।"

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

वी० एल० लुम्बा,

सचिव।

No. 2036(2)/XVII-V-1—1(Ka)-15-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Shanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 1984:

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI LAWS (AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. ACT NO. 20 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1984.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on May 21, 1984, section 3 shall be deemed to have come into force on October 4, 1983, section 4 shall be deemed to have come into force on June 11, 1984 and the remaining sections shall come into force at once.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpukalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, in sub-section (1), *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*.

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

Amendment of section 23-A of U. P. Act no. 25 of 1964.

3. In section 23-A of the Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the principal Act), *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) Subject to the provisions of sub-section (2-B)—

(*a*) every person, other than a Government servant, serving in any committee on deputation, who holds a post comprised in the cadre referred to in sub-section (1), and

(*b*) every Government servant, serving in any committee on deputation on a post in the said cadre, who is not found to be unsuitable, suitability being determined in such manner as may be laid down in regulations,

shall on and from the date of the constitution of the said cadre (hereinafter in this section to be referred to as the said date) become member of the cadre on the terms and conditions mentioned in sub-section (2-A).

(2-A) Every person, who becomes a member of the cadre under sub-section (2) shall hold office by the same tenure, at the same remuneration, upon the same terms and conditions, and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he could have been entitled to on the said date but for the constitution of the cadre and shall continue to be so entitled until his employment as a member of the cadre is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of service are revised or altered by the Board under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service.

(2-B) Nothing contained in sub-section (2) shall apply to a person who, by notice in writing, given to the State Government, within such time as the State Government may, by general or special order specify intimates his intention of not becoming a member of the said cadre.

(2-C) The services of an employee, under a committee, who opts against absorption, shall stand terminated on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive from the concerned committee compensation equivalent to—

(*a*) three months emoluments in case of permanent employee;

(*b*) one month's emoluments in case of temporary employee,

(2-D) A Government servant serving in any committee on deputation on any post in the cadre, referred to in sub-section (1) who opts against absorption or who is not found suitable, shall be reverted to his parent department and, if having regard to his seniority, a post is not available for him in the parent department his services shall stand terminated with effect from the date of the order of reversion on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive, from the State Government, compensation equivalent to the amount mentioned in sub-section (2-C)".

Amendment of section 40.

4. In section 40 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act."

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and saving.

5. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sansh dhan) Adhyadesh, 1984 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1984, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in Chapters II and III as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order.
B. L. LCOMBA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 161 सा० (विधा०)—(2206)—1984—750 (मेक०)।